संख्याः 373461/ E-51940/FCD/IRFC/FFCG/6/2026

प्रेषक,

हिमांशु खुराना,
अपर सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
31/62, राजपुर रोड, देहरादून।

वित्त अनुभाग–1 ::देहरादून:: दिनांकः 23 फरवरी, 2026

विषयः– 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में समस्त शहरी स्थानीय निकायों को आबद्ध अनुदान/निर्दिष्ट अनुदान **(Tied Grant)** के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 की द्वितीय किश्त की धनराशि वित्तीय वर्ष 2025–26 में अंतरित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में अवगत कराना है कि निदेशक, वित्त आयोग प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के शासनादेश सं– F-9(3)/FCD/2025, दिनांकः 11.02.2026 द्वारा 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में आबद्ध अनुदान/निर्दिष्ट अनुदान (Tied Grant) के अन्तर्गत शहरी स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय वर्ष 2024–25 की द्वितीय किश्त हेतु रू0 5837.44 लाख (रू0 अट्ठावन करोड़ सैंतीस लाख चवालीस हजार मात्र) की धनराशि दिनांकः 11.02.2026 को अवमुक्त की गई है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में भारत सरकार के उपर्युक्त शासनादेश दिनांकः 11.02.2026 द्वारा आबद्ध अनुदान/निर्दिष्ट अनुदान (Tied Grant) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 की द्वितीय किश्त हेतु अवमुक्त रू0 5837.44 लाख (रू0 अट्ठावन करोड़ सैंतीस लाख चवालीस हजार मात्र) की धनराशि वित्तीय वर्ष 2025–26 में निम्न फॉट एवं संलग्न विवरणानुसार (संलग्नक–1) संबंधित शहरी स्थानीय निकायों को अंतरित किये जाने हेतु आपके निवर्तन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

क्र. सं.	निकाय का नाम	टाईड अनुदान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 की द्वितीय किश्त का वित्तीय वर्ष 2025–26 में अंतरण (रू0 हजार में)
1–	नगर निगमें	309149
2–	नगर पालिका परिषदें	217581
3–	नगर पंचायतें	51719
4–	छावनी परिषदें	5295
	योग	583744

3– उपर्युक्त अनुदान की धनराशि समस्त शहरी स्थानीय निकायों को निम्नलिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अन्तर्गत अंतरित की जानी हैः–

(1) शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय को प्रेषित निकायवार आलेटमेन्ट सूची के आधार पर निकायों के अंश की गणना करते हुये वित्तीय वर्ष 2024–25 की द्वितीय किश्त हेतु प्राप्त टाईड अनुदान की धनराशि संबंधित शहरी स्थानीय निकायों को अंतरित की जा रही है।

(2) निदेशक, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड के निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर संलग्न विवरणानुसार समस्त शहरी स्थानीय निकायों (नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों एवं छावनी परिषदों) को तत्काल हस्तान्तरित किया जायेगा। किसी भी स्थिति में अनुदान की धनराशि निदेशालय स्तर पर रोकी नहीं जायेगी।

(3) अंतरित की जा रही धनराशि भारत सरकार से प्राप्त होने की तिथि दिनांकः 11.02.2026 से 10 कार्य दिवसों के भीतर संबंधित निकायों को हस्तान्तरित करना सुनिश्चित किया जायेगा। विलम्ब की स्थिति में ब्याज सहित धनराशि का भुगतान किश्त के साथ संबंधित निकायों को किया जायेगा, जिसके लिये *निदेशक, शहरी विकास विभाग/ संबंधित मुख्य कोषाधिकारी* पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(4) स्थानीय अनुदान के उपयोग के संबंध में व्यय विभाग, भारत सरकार द्वारा शासनादेश सं0– सं0–F.15(2)FC-XV/FCD/ 2020-25, दिनांकः 28.07.2021 द्वारा परिचालन दिशा–निर्देश जारी किये गये है। उक्त शासनादेश में निहित प्रावधानों तथा अवार्ड अवधि 2021–26 के लिये 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अध्याय–7 में उल्लिखित निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) शहरी स्थानीय निकायों को यह सुनिश्चित करना होगा कि 15वें वित्त आयोग अनुदान के लिए प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय द्वारा अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक में पृथक से खाता खोला गया है, जिसे पी.एफ.

File No. FCD-IRFC/FFCG/6/2023-FCD-Finance Department (Computer No. 51940)
Generated from eOffice by MANOJ KARAKOTI, Review Officer-Finance Section-01-MK, REVIEW OFFICER, Finance Department on 23/02/2026 12:56 pm

एम.एस. से लिंक किया जायेगा और आयोग की अवार्ड अवधि में प्रत्येक हस्तांतरण के लिये संरक्षित किया जायेगा।

(6) आबद्ध/ निर्दिष्ट अनुदान (Tied Grant) को दो बराबर भाग में (50-50 प्रतिशत) विभाजित कर निम्नवत उपयोग किया जायेगा:–

a) अनुदान की 50 प्रतिशत धनराशि का पेयजल (वर्षा जल संचयन एवं पुनर्चक्रण सहित) हेतु किया जायेगा।

b) अनुदान की 50 प्रतिशत धनराशि का उपयोग 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन हेतु आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय (MoH & UA) द्वारा विकसित स्टार रेटिंग की प्राप्ति के लिए किया जायेगा।

(7) भारत सरकार द्वारा कुल 116 निकायों में से प्रवेश स्तरीय शर्ते पूर्ण करने वाली 76 निकायों के लिये धनराशि अवमुक्त की गई है। 40 निकायों, जिनके द्वारा प्रवेश स्तरीय शर्ते पूर्ण नहीं की गई, उनके लिये धनराशि अवमुक्त नहीं की गई है। तद्नुसार ही निकायों को अनुदान की धनराशि अंतरित की जा रही है।

(8) वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु संस्तुत अनुदान की धनराशि प्राप्त करने हेतु शत् प्रतिशत शहरी स्थानीय निकायों के पिछले वर्ष के गैर–लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा और पिछले से पिछले वर्ष के लिए लेखापरीक्षित लेखा ऑनलाइन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा ताकि उस वर्ष में पूर्ण अनुदान की धनराशि प्राप्त हो सके।

(9) संपत्ति कर की न्यूनतम दरों को अधिसूचित करने तथा उसे 2021–22 में उसका प्रचालन की संगत व्यवस्था भी सुनिश्चित की जायेगी।

(10) किसी वर्ष के अनंतिम वार्षिक लेखाओं को प्रत्येक उत्तरोत्तर वर्ष के लिए 15 मई तक रियल टाइम आधार पर ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। उदाहरण के लिए 2020–21 के लिए ऑनलाइन अनंतिम वार्षिक लेखाओं को 15 मई, 2021 तक उपलब्ध कराना होगा।

(11) वर्ष 2023–24 तथा आगे के वर्षो में अनुदान की धनराशि प्राप्त करने हेतु पात्रता निम्नवत निर्धारित की गई है:–

i. राज्य स्तर पर 2022–23 तक संपत्ति कर दर की न्यूनतम मूल्य दर अधिसूचना जारी की जा चुकी है।

ii. पिछले वर्ष के गैर–लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा और पिछले से पिछले वर्ष के लिए लेखापरीक्षित लेखा ऑनलाइन लेखा उपलब्ध हैं।

iii. शहरी स्थानीय निकाय ने राज्य की जीएसडीपी की वृद्धि दर के अनुरूप संग्रह में लगातार सुधार लाने की शर्त को पूरा कर लिया है।

(12) स्थानीय निकायों की जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के आंकड़ों की प्रमाणिकता के संबंध में शहरी विकास विभाग/ संबंधित निकाय उत्तरदायी होगा।

(13) अंतरित धनराशि के संबंध में शहरी विकास विभाग द्वारा निर्धारित एनेक्सर–I व II पर (समस्त शहरी स्थानीय निकाय एवं छावनी परिषदें सहित) संकलित सूचना वित्तीय सचिव से हस्ताक्षर कराकर तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) अंतरित की जा रही धनराशि का आहरण/ व्यय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रक्योमेंट) नियमावली–2025 (समय–समय पर यथा संशोधित) में निहित प्रावधानों तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत किया जायेगा।

(15) वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः I/287566/E-79713/09(150) 2019/ 2025, दिनांकः 31 मार्च, 2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियों के संबंध में निर्गत दिशा–निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(16) अवमुक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र सम्बन्धित निकाय के मुख्य नगर आयुक्त/ अधिशासी अधिकारी के हस्ताक्षर से दिनांकः 30 जून, 2026 तक निदेशक, शहरी विकास विभाग को प्राप्त हो जाने चाहिए। निकायों द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत धनराशि का पूर्ण सदुपयोग करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(17) शहरी विकास निदेशालय द्वारा समस्त शहरी स्थानीय निकायों के उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का संकलन कर, संकलित उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास से हस्ताक्षर कराकर महालेखाकार, उत्तराखण्ड एवं वित्त विभाग (वि.आ.निदे.) को उपलब्ध कराया जायेगा।

(18) शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दी जायेगी।

(19) 15वें वित्त आयोग की धनराशि से सम्पन्न कराये जाने वाले कार्यो के संबंध में निर्माण स्थल पर साईन बोर्ड लगाया जायेगा, जिस पर "15वॉ वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य", निर्माण कार्य का वर्ष एवं योजना की लागत अवश्य इंगित की जायेगी।

le No. FCD-IRFC/FFCG/6/2023-FCD-Finance Department (Computer No. 51940)
enerated from eOffice by MANOJ KARAKOTI, Review Officer-Finance Section-01-MK, REVIEW OFFICER, Finance Department on 23/02/2026 12:56 pm
f 3 23-02-2026, 12:59 pr

(20) वित्तीय वर्ष 2025–26 आयोग की अवार्ड अवधि का अन्तिम वर्ष है। उक्त के दृष्टिगत 15वें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान की पूर्ण धनराशि प्राप्त करने हेतु शहरी विकास विभाग द्वारा समस्त प्रवेश स्तरीय शर्ते पूर्ण करने हेतु तत्परता के साथ कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जायेगा। यदि प्रवेश स्तरीय शर्ते समय से पूर्ण नहीं की जाती है और इसके कारण कोई धनराशि लैप्स होती है, तो इसके लिये शहरी विकास विभाग पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

(21) अलोटमेन्ट आई.डी. संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

(22) इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 की अनुदान संख्याः 07 के निम्नलिखित लेखाशीर्षकों के नामें डाला जायेगाः–

क्र.सं.	मानक मद का विवरण	टाईड अनुदान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 की द्वितीय किश्त का वित्तीय वर्ष 2025–26 में अंतरण (रू0 ह0रू0 में)
1–	लेखाशीर्षकः 3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–00–200–अन्य विविध क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन–01–केन्द्र सहायतित योजना–02–नगर निगमों हेतु केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त टाईड अनुदान–56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)	309149
2–	लेखाशीर्षकः 3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–00–200–अन्य विविध क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन–01–केन्द्र सहायतित योजना–04–नगर पालिकाओं हेतु केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त टाईड अनुदान–56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)	217581
3–	लेखाशीर्षकः 3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–00–200–अन्य विविध क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन–01–केन्द्र सहायतित योजना–06–नगर पंचायतों हेतु केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त टाईड अनुदान–56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)	51719
4–	लेखाशीर्षकः 3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–00–200–अन्य विविध क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन–01–केन्द्र सहायतित योजना–14–केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा कैंटोमेंट बोर्ड हेतु संस्तुत टाईड अनुदान–56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)	5295
योग		583744

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,
Digitally signed by Himanshu Khurana
Date: 23-02-2026 11:22:40
(हिमांशु खुराना)
अपर सचिव।

संख्याः 373461/ E-51940/FCD/IRFC/FFCG/6/2026, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. निदेशक, वित्त आयोग प्रभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. निदेशक, वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाऐं, 23–लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
9. समस्त संबंधित मुख्य/वरिष्ठ वित्त अधिकारी/ उप कोषाधिकारी, देहरादून।
10. समस्त संबंधित मुख्य नगर आयुक्त/ अधिशासी अधिकारी/ मुख्य अधिशासी अधिकारी–नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

(हिमांशु खुराना)
अपर सचिव।

File No. FCD-IRFC/FFCG/6/2023-FCD-Finance Department (Computer No. 5194Q)
Generated from eOffice by MANOJ KARAKOTI, Review Officer-Finance Section-01-MK, REVIEW OFFICER, Finance Department on 23/02/2026 12:56 pm

संलग्नक–1

15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के कम में आबद्ध / निर्दिष्ट अनुदान **(Tied Grant)** के अन्तर्गत समस्त शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2024–25 की द्वितीय किश्त का वित्तीय वर्ष 2025–26 में अन्तरण

(धनराशि हजार रू0 में)

क.सं.	जिला	क्र. सं.	स्थानीय निकाय का नाम	टाईड अनुदान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 की द्वितीय किश्त का वित्तीय वर्ष 2025–26 में अंतरण
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1–नगर निगमः–				
1-	देहरादून	1	देहरादून	104379
		2	ऋषिकेश	14193
2-	हरिद्वार	3	हरिद्वार	30757
		4	रूड़की	25164
3-	नैनीताल	5	हल्द्वानी	32269
4-	ऊधमसिंह नगर	6	काशीपुर	22700
		7	रूद्रपुर	25282
5-	पौड़ी गढवाल	8	कोटद्वार	20252
		9	श्रीनगर	8911
6-	अल्मोड़ा	10	अल्मोड़ा	11028
7-	पिथौरागढ़	11	पिथौरागढ़	14214
योग (1) नगर निगम				**309149**
2–नगर पालिका परिषद				
1-	चमोली	1	गोपेश्वर	7113
		2	गौचर	4812
		3	कर्णप्रयाग	4472
2-	चम्पावत	4	चम्पावत	4723
		5	टनकपुर	5255
		6	लोहाघाट	1811
3-	देहरादून	7	मसूरी	17317
		8	विकासनगर	6690
		9	डोईवाला	12809
		10	हरबर्टपुर	3677
4-	हरिद्वार	11	मंगलौर	11034
		12	लक्सर	6038
		13	शिवालिक नगर	7750

क्र.सं.	जिला	क्र. सं.	स्थानीय निकाय का नाम	टाईड अनुदान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 की द्वितीय किश्त का वित्तीय वर्ष 2025–26 में अंतरण
1	*2*	*3*	*4*	*5*
5-	नैनीताल	14	नैनीताल	12539
		15	रामनगर	12553
		16	भवाली	4119
6-	पौड़ी गढ़वाल	17	दुगड्डा	3696
7-	पिथौरागढ़	18	धारचूला	4713
		19	डीडीहाट	4713
		20	बेरीनाग	1355
8-	रूद्रप्रयाग	21	रूद्रप्रयाग	5117
9-	टिहरी	22	मुनिकीरेती–ढालवाला	7724
		23	चम्बा	3232
		24	देवप्रयाग	4764
10-	ऊधम सिंह नगर	25	बाजपुर	7125
		26	जसपुर	11633
		27	खटीमा	12212
		28	सितारगंज	7554
		29	महुआखेड़ा गंज	3623
11-	उत्तरकाशी	30	उत्तरकाशी	8463
		31	बड़कोट	4473
		32	चिन्यालीसौंण	4472
योग (2) नगर पालिका परिषदें:–				**217581**
3–नगर पंचायतें:–				
1-	अल्मोड़ा	1	द्वाराहाट	1096
		2	भिक्यासैण	900
2-	बागेश्वर	3	कपकोट	826
3-	चमोली	4	नन्दप्रयाग	1433
		5	गैरसैंण	2132
		6	पोखरी	1491
		7	थराली	1109
		8	पीपलकोटी	1521
		9	नन्दानगर	968
4-	चम्पावत	10	बनबसा	895

क.सं.	जिला	क्र. सं.	स्थानीय निकाय का नाम	टाईड अनुदान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 की द्वितीय किश्त का वित्तीय वर्ष 2025–26 में अंतरण
1	*2*	*3*	*4*	*5*
5-	हरिद्वार	11	झबरेड़ा	2271
		12	लण्डौरा	3706
		13	भगवानपुर	2284
		14	पीरान कलियर	3997
6-	पौड़ी गढ़वाल	15	जौंक (स्वर्गाश्रम)	2141
7-	टिहरी गढ़वाल	16	कीर्तिनगर	1578
		17	गजा	851
8-	नैनीताल	18	लालकुँआ	1607
		19	भीमताल	3720
9-	ऊधमसिंह नगर	20	महुआडाबरा हरिपुरा	1676
		21	सुल्तानपुर	2097
		22	केलाखेड़ा	2293
		23	दिनेशपुर	2499
		24	शक्तिगढ़	1752
		25	नानकमत्ता	1226
10-	उत्तरकाशी	26	पुरोला	2331
		27	नौगॉव	1325
11-	रूद्रप्रयाग	28	गुप्तकाशी	968
12-	पिथौरागढ़	29	मुनस्यारी	1026
	योग (3) नगर पंचायतें			**51719**
4–छावनी परिषदें:–:				
1-	देहरादून	1	चकराता	1021
2-	पौड़ी	2	लैंसडाउन	1130
3-	नैनीताल	3	नैनीताल	280
4-	हरिद्वार	4	रूड़की	2864
	योग (4) छावनी परिषदें			**5295**
महायोग **(1+2+3+4)**		76		**583744**

(रू0 अट्ठावन करोड़ सैंतीस लाख चवालीस हजार मात्र)

Digitally signed by Himanshu Khurana
Date: 23-02-2026 11:24:01

हिमांशु खुराना
अपर सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2025 - 2026)

HOD-Secretary Finance (HOD)(2211)

Treasury-Cyber(1200)

DDO-Director Urban Development Dehradun(2877)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या-007

आवंटन आई डी-H26020070445
आवंटन पत्र दिनांक-23-FEB-2026

लेखा शीर्षक	3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओ को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	00--
	200-अन्य विविध मुआवजा और असांइनमेंट	01-केंद्र सहायतित योजना
	02-नगर निगमों हेतु केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त टाईड अनुदान (100% के0पो0)	Voted

3	6	0	4	0	0	2	0	0	0	1	0	2

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
56-सहायक अनुदान (समान्य गैर वेतन)	315569469	309149000	315569469	624718469
योग	315569469	309149000	315569469	624718469

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.30,91,49,000 (Rupees Thirty Crores Ninety One Lacs Forty Nine Thousand Only)

Batch ID : DIS:2211:2211:2602:0013
Approval Status : APPROVED BY OFFICER

के0के0 पाण्डेय
अनुभाग अधिकारी
वित्त अनुभाग–01
उत्तराखण्ड शासन

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2025 - 2026)

HOD-Secretary Finance (HOD)(2211)

Treasury-Cyber(1200)

DDO-Director Urban Development Dehradun(2877)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या-007

आवंटन आई डी-H26020070446
आवंटन पत्र दिनांक-23-FEB-2026

लेखा शीर्षक	3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओ को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	00--
	200-अन्य विविध मुआवजा और असाइनमेंट	01-केंद्र सहायतित योजना
	04-नगर पालिकाओं हेतु केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त टाईड अनुदान (100% के0पो0)	Voted

3	6	0	4	0	0	2	0	0	0	1	0	4

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
56-सहायक अनुदान (समान्य गैर वेतन)	223344939	217581000	223344939	440925939
योग	223344939	217581000	223344939	440925939

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.21,75,81,000 (Rupees Twenty One Crores Seventy Five Lacs Eighty One Thousand Only)

Batch ID : DIS:2211:2211:2602:0014

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

के0के0 पाण्डेय
अनुभाग अधिकारी
वित्त अनुभाग–01
उत्तराखण्ड शासन

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2025 - 2026)

HOD-Secretary Finance (HOD)(2211)

Treasury-Cyber(1200)

DDO-Director Urban Development Dehradun(2877)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या-007

आवंटन आई डी-H26020070447
आवंटन पत्र दिनांक-23-FEB-2026

लेखा शीर्षक	3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओ को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	00--
	200-अन्य विविध मुआवजा और असाइनमेंट	01-केंद्र सहायतित योजना
	06-नगर पंचायतों हेतु केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त टाईड अनुदान (100% के0पो0)	Voted

3	6	0	4	0	0	2	0	0	0	1	0	6

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
56-सहायक अनुदान (समान्य गैर वेतन)	52361076	51719000	52361076	104080076
योग	52361076	51719000	52361076	104080076

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.5,17,19,000 (Rupees Five Crores Seventeen Lacs Nineteen Thousand Only)

Batch ID : DIS:2211:2211:2602:0015
Approval Status : APPROVED BY OFFICER

के0के0 पाण्डेय
अनुभाग अधिकारी
वित्त अनुभाग–01
उत्तराखण्ड शासन

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2025 - 2026)

HOD-Secretary Finance (HOD)(2211)

Treasury-Cyber(1200)

DDO-Director Urban Development Dehradun(2877)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या-007

आवंटन आई डी-H26020070448
आवंटन पत्र दिनांक-23-FEB-2026

लेखा शीर्षक	3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओ को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	00--
	200-अन्य विविध मुआवजा और असाइनमेंट	01-केंद्र सहायतित योजना
	14-केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा कैंटोमेंट बोर्ड हेतु संस्तुत टाईड अनुदान (100% के0पो0)	Voted

3	6	0	4	0	0	2	0	0	0	1	1	4

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
56-सहायक अनुदान (समान्य गैर वेतन)	4825	5295000	4825	5299825
योग	4825	5295000	4825	5299825

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.52,95,000 (Rupees Fifty Two Lacs Ninety Five Thousand Only)

Batch ID : DIS:2211:2211:2602:0016

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

के0के0 पाण्डेय
अनुभाग अधिकारी
वित्त अनुभाग–01
उत्तराखण्ड शासन